वित्तीय दबाव तथा भू राजस्व व्यवस्था →

बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश कम्पनी कम्पनी का मुख्य बल अधिकतम रूप में भू राजस्व वसूली पर रहा था। इसी क्रम में ब्रिटिश कम्पनी ने तीन भिन्न प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था विकसित की जिन्हें हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानते हैं।

भू राजस्व व्यवस्था →
- स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था
- → रैयतवाड़ी व्यवस्था
- → महालवाड़ी व्यवस्था

स्थायी बंदोबस्त :- बताया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर विचारधारा का विशेष प्रभाव था और यह विचारधारा थी - फ्रांसीसी प्रकृतिवादी विचारधारा जिसके अनुसार सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्राथमिकता को स्वीकार किया जाना चाहिये। फिर लार्ड कार्नवालिस से पूर्व ही हेनरी पाटुल्लो तथा फिलिप फ्रांसिस जैसे ब्रिटिश अधिकारी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की वकालत कर रहे थे। किन्तु परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि स्थायी बंदोबस्त के विकास में विचारधारा का प्रभाव हो सकता है किन्तु उसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था - ब्रिटिश औपनिवेशिक हित। वस्तुतः बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के पश्चात ही कम्पनी का विशेष बल भू राजस्व की अधिकतम वसूली पर था।

Note → ब्रिटिश विद्वानों ने विचारधारा पर सदैव बल दिया क्योंकि यदि यह मान्यता सिद्ध हो जाये तो औपनिवेशिक हित जैसी अवधारणा पर स्वमेव विराम लग जायेगा।

Note → फ्रेंच फिजियोक्रेट फ्रांस का एक चिंतक वर्ग जो अर्थ में भूमि सम्पदा को आधार मानता था और कहता था कि यदि भूमि को व्यक्तिगत स्वामित्व में रखें तो समृद्धि बढ़ेगी।

रॉबर्ट क्लाइव → क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। इसके अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन भारतीयों के हाथ में रखा गया जबकि निरीक्षण यूरोपीय अधिकारियों के अंतर्गत। किन्तु यूरोपीय अधिकारियों में अनुभव की कमी एवं भ्रष्टाचार के कारण 1769-70 में एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग एक तिहाई जनसंख्या नष्ट हो गई। क्लाइव की पद्धति के कारण कृषि अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। इसका प्रभाव बंगाल के व्यापार एवं कंपनी के शेयरधारकों के मुनाफे पर पड़ा। अतः कोर्ट आफ डायरेक्टर्स क्लाइव की पद्धति से असंतुष्ट हुआ।

Scanned by CamScanner

~~२ भाई अध्याय~~ →

वारेन हेस्टिंग्स → वारेन हेस्टिंग्स भू राजस्व व्यवस्था के विकास में भूल एवं सुधार की प्रक्रिया से गुजरता रहा। उसने "फार्मिंग पद्धति" की शुरुआत की। 1772 में "पंचशाला ठेका" योजना लागू की गई। इस योजना के तहत पाँच वर्षों के लिये भू राजस्व का प्रबंधन किया गया। इस प्रबंधन में हेस्टिंग्स ने जानबूझकर जमींदारों का दूर रखने का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक कृषि अधिशेष कम्पनी के लिये सुरक्षित किया जा सके। फिर 1776 में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचशाला योजना को समाप्त कर एकसाला योजना लागू की। उसने यह महसूस किया कि जमींदार भू राजस्व के मामले में विशेषज्ञ होते हैं वे तथा ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत थी। अतः इन तत्वों को योजना से पृथक रख भू राजस्व प्रबंधन को सफल नहीं बनाया जा सकता यही वजह है कि अपनी एकसाला योजना में हेस्टिंग्स ने जमींदारों को प्राथमिकता दी। फार्मिंग पद्धति एक प्रकार की नीलामी की पद्धति थी जिसमें सर्वाधिक बोली लगाने वाले को वसूली का अधिकार प्राप्त होता था। किन्तु इस नीलामी पद्धति के कारण किसानों का अपेक्षाकृत शोषण हुआ एवं कृषि अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित हुई।

लार्ड कार्नवालिस → लार्ड कार्नवालिस का मुख्य दायित्व था, बंगाल में भू राजस्व का एक सुव्यवस्थित मॉडल विकसित करना। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त पिछले तीन दशकों के निरन्तर प्रयोग के पश्चात विकसित हुआ था।

संरचना एवं कार्यविधि :-

1. मध्यस्थ एवं बिचौलियों को भूमि का स्वामी बना दिया गया।
2. स्वतन्त्र किसानों को अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील कर दिया गया।
3. सामुदायिक संपत्ति को जमींदार के निजी स्वामित्व के अन्तर्गत रख दिया गया।
4. भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया
5. भू राजस्व के निर्धारण के लिये 1789-90 के वर्ष में की गई वसूली को आधार बनाया गया। इसमें सरकार का हिस्सा 10/11 भाग तथा जमींदार का हिस्सा 1/11 भाग निर्धारित किया गया। किन्तु जो सरकार का हिस्सा था वह सदा के लिये निश्चित कर दिया गया।
6. सरकार की रकम को सुनिश्चित करने के लिये 1794 के बंगाल रेग्युलेशन के आधार पर "सूर्यास्त कानून" लाया गया। इसके अनुसार एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक जमींदारों को यह राशि चुकानी होती थी।
7. दूसरी तरफ रैयतों की गर्दन जमींदारों के हाथों में दे दी गई। 1799 तथा 1812 के "बंगाल रेग्युलेशन" के अनुसार भू राजस्व नहीं चुका सकने की स्थिति में जमींदार रैयतों की अचल संपत्ति को नीलाम कर सकता था और फिर इसके लिये उसे कोर्ट की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं थी।

इससे पूर्व 1793 के अधिनियम के अनुसार केवल चल संपत्ति जब्त की जा सकती थी।

उद्देश्य :- आर्थिक, प्रशासनिक, एवं राजनीतिक कारकों को स्थायी बंदोबस्त के पीछे एक प्रेरक कारक माना जाता है।

आर्थिक कारक — ① सरकार को एक निश्चित रकम स्थायीरूप में प्राप्त होती रहेगी।

② चूँकि कृषि के विस्तार का लाभ जमींदारों को मिलेगा इसलिये जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध होंगे तथा वे कृषि के विकास के लिये काम करेंगे।

③ चूँकि भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया तथा जमींदारी की भी खरीद-बिक्री हो सकती थी। अतः शहरी महाजन और साहूकार भी कृषि में निवेश करेंगे। इस प्रकार नगरों से गाँवों की ओर मुद्रा का आगमन होगा।

④ अगर कृषि का विकास होगा तो फिर बंगाल में निर्यात व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बंगाल में निर्यात की जाने वाली दो प्रमुख वस्तुएँ सूतीवस्त्र एवं रेशमी वस्त्र कृषि उत्पाद से ही सम्बद्ध रहीं थी।

प्रशासनिक कारक — ① लाखों किसानों के बजाए कुछ सौ जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करना आसान होगा। इस प्रकार कम्पनी प्रशासनिक झंझटों से मुक्त रहेगी

② इसके अतिरिक्त कुछ सौ जमींदारों के माध्यम से वसूली का अर्थ है कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगाना आसान होगा।

राजनीतिक कारक — ① स्थायी बंदोबस्त का एक प्रमुख उद्देश्य था कि एक ऐसा समर्थक वर्ग उत्पन्न करना था जो भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत आधार प्रदान कर सके।

स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव :- ① ऊपर के स्तर पर सामंतवाद तथा नीचे के स्तर पर कृषि दासता को प्रोत्साहन।

② रैयतों ने भूमि पर अपने पैतृक अधिकार खो दिये तथा अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील हो गये।

③ सामुदायिक संपत्ति पर रैयतों का पैतृक अधिकार छिन गया (समाप्त हो)

④ किसानों की क्रयशक्ति कम हो गई

⑤ भू राजस्व की बड़ी रकम को चुकता करने के लिये किसानों ने व्यावसायिक फसलों को अपनाया जिसके कारण मोटे अनाजों की खेती दुष्प्रभावित हुई। अतः ग्रामीण क्षेत्र में भुखमरी को प्रोत्साहन मिला।

⑥ 1859 से पहले बंगाल के रैयतों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई तदुपरांत 1859 एवं 1885 के रैयतवाड़ी कानून के आधार पर उन्हें जो सुरक्षा प्राप्त हुई उसका वास्तविक लाभ धनी जोतदारों को मिला।

Scanned by CamScanner

कार्नवालिस अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहा?

→ यद्यपि यह सही है कि सरकार को एक बड़ी रकम निश्चित रूप में प्राप्त होने लगी किन्तु यह भी सत्य है कि सरकार कृषि के विस्तार से होने वाले लाभ से वंचित हो गई। एक सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल के जमींदारों ने 1918 में 60 करोड़ रुपये भू राजस्व के रूप में वसूल किये किन्तु सरकार को केवल 4 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

→ नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन नहीं हो सका वरन् इसके विपरीत अनुपस्थित जमींदारी के कारण ग्रामीण क्षेत्र से ही नगरीय क्षेत्र में मुद्रा का पलायन होने लगा। (जमींदार स्वयं नगर में रहने लगे)

→ किसी भी प्रकार से जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध नहीं हो सके तथा उन्होंने कृषि विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई।

→ जहाँ तक प्रशासनिक सुविधा का सवाल है वहाँ आरंभ में सूर्यास्त कानून के तहत निरन्तर जमींदारियों की नीलामी के कारण प्रशासनिक असुविधा और भी बढ़ गयी थी। उदाहरण के लिये 1794 तथा 1801 के बीच बंगाल और बिहार में सूर्यास्त कानून के तहत लगभग 41% जमींदारियाँ नीलाम हो गईं।

→ स्थायी बंदोबस्त का एक स्वाभाविक कुपरिणाम था "उपसामंतीकरण" यद्यपि आरंभ में कार्नवालिस ने इसे हतोत्साहित किया था परन्तु आगे चलकर यह पद्धति एक स्वाभाविक बुराई के रूप में विकसित होती गई। दूसरे शब्दों में बंगाल के जमींदारों पर भू राजस्व का अधिभार बहुत अधिक था। इसे चुकाने में उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। अतः आरक्षित रकम की वसूली के लिये अपनी जमींदारी को कई अधीनस्थ जमींदारों के बीच विभाजित कर आवंटित करना आरंभ किया। इस पद्धति को "पटनी प्रथा" कहा गया। बाध्य होकर सरकार को भी यह स्थिति स्वीकार करनी पड़ी इस प्रकार उपसामंतीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई।

उपसामंतीकरण से कृषकों का शोषण अत्यधिक बढ़ गया।

पटनी व्यवस्था — दो बुराइयाँ — अनुपस्थित जमींदारी
— उपसामंतीकरण

→ स्थायी बंदोबस्त ने निश्चय ही ब्रिटिश कम्पनी के लिये एक समर्थक वर्ग तैयार कर दिया और इसी वर्ग ने 1857 के विद्रोह के समय अपनी वफादारी सिद्ध कर दी किन्तु यह भी सत्य है कि इसी जमींदार वर्ग की शोषण मूलक नीति के कारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का निरन्तर विद्रोह होता रहा।

Scanned by CamScanner

रैयतवाड़ी व्यवस्था →

प्रेरक कारक :-

विचारधारा अथवा दृष्टिकोण

रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रेरित करने में विचारधारा अथवा दृष्टिकोण की अहम भूमिका मानी जाती है। मुनरो एवं एलफिंस्टन जैसे प्रशासकों पर पितृसत्तावादी अथवा स्वच्छन्दवादी दृष्टिकोण का प्रभाव था तथा वे भारत में भू राजस्व व्यवस्था का एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहते थे जो भारतीय परम्परा द्वारा समर्पित हो। फिर मुनरो एवं एलफिंस्टन के व्यक्तित्व पर स्कॉटिश प्रबोधन का भी प्रभाव माना जाता है। इसमें जमींदारों की जगह रैयतिक समुदाय के महत्व पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त एलफिंस्टन एवं मुनरो के दृष्टिकोण पर डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धान्त का भी प्रभाव माना जाता है जिसे उपयोगितावादी अर्थशास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। रिकार्डो जमींदार को परजीवी मानता है तथा उत्पादन में उनका विशेष महत्व स्वीकार नहीं करता है।

आर्थिक -भौतिक हित -

ब्रिटिश पदाधर विद्वानों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के विकास में विचारधारा की भूमिका पर विशेष बल दिया है, किन्तु विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि विचारधारा की तुलना में आर्थिक -भौतिक हित अधिक प्रबल रहा :-

1. मद्रास प्रेसीडेन्सी में कंपनी खर्चीले युद्ध में उलझी हुई थी। अतः उसे बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी।
2. स्थायी बंदोबस्त के कारण कम्पनी कृषि उत्पादन के भावी लाभ से वंचित हो गई थी। अतः कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने कंपनी को स्थायी बंदोबस्त का विस्तार करने से रोका।
3. पश्चिम भारत एवं दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग जैसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था।

संरचना तथा कार्यविधि →

→ मद्रास - सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया गया। फिर जब कर्नल रीड का विश्वास उठने लगा तो मुनरो का विश्वास इस पर बढ़ने लगा। मुनरो ने पहले जिला कलेक्टर की हैसियत से प्रबंधन किया और फिर आगे मद्रास के गवर्नर के रूप में उसने इस पद्धति को मद्रास प्रेसीडेन्सी में लागू कर दिया।

Scanned by CamScanner

विशेषतायें →

① प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा उसे करदाता करारनामा किया गया

② यहाँ भी भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया।

③ सामुदायिक संपत्ति अर्थात् चारागाह भूमि, बंजरभूमि, जंगल आदि को किसान की जगह सरकार के स्वामित्व में रख दिया गया।

④ किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंधन स्थायी रूप में न करके, अस्थायी रूप में किया गया।

⑤ सैद्धान्तिक रूप में मुनरो ने खेत के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। अर्थात् भूमि की उत्पादकता के आधार पर अलग-अलग खेत पर भू राजस्व की अलग-अलग राशि तय की गई। फिर किसानों को यह विकल्प दिया गया कि वे अपनी इच्छानुसार भूमि का चयन करे। वे जिस भूमि का चयन करते उसके अनुसार उन्हें भू राजस्व की रकम देनी पड़ती।

वास्तविक क्रियान्वयन → किन्तु व्यवहार में किसानों को भू राजस्व के रूप

मद्रास में एक बड़ी रकम देनी होती थी। 1820 के पश्चात् किसानों के समक्ष यह विकल्प भी समाप्त हो गया कि वे जिस प्रकार की भूमि चाहे चुन सकते थे, उसके बदले उनपर बंजर भूमि थोप दी गई। साथ ही भू राजस्व की वसूली में वास्तविक आकलन को आधार न बनाकर अनुमान पर आधारित पद्धति अपनाई जाने लगी। आरंभ में भू राजस्व की राशि इतनी अधिक थी कि स्वयं महाजन भी भूमि पर कब्जा करने से कतराने लगे। आगे इस स्थिति का खुलासा 1854 में "मद्रास यातना आयोग" ने किया। फिर व्यवस्था में सुधार लाया गया। भू राजस्व की राशि को वास्तविक उत्पादन का 50% निर्धारित किया गया। अतः 1864 तथा उसके पश्चात् किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तथा महाजन भी भूमि के अधिग्रहण की ओर आकर्षित हुए।

बाम्बे → जब बाम्बे पर कम्पनी का नियंत्रण स्थापित हुआ तो कम्पनी ने आरंभ में पटेलों के माध्यम से गुजरात क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली आरंभ की किन्तु 1813 के पश्चात् सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से भू राजस्व की रकम प्राप्त करने लगी। फिर 1818 ई० में कम्पनी ने पेशवा के क्षेत्र को भी हस्तगत कर लिया तो फिर बाम्बे कम्पनी के नियंत्रण का विस्तार हुआ। इसके पश्चात् मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन के अधीन बाम्बे में रैयतवाड़ी पद्धति को लागू किया गया। आरम्भ में भू राजस्व का आकलन "प्रिंगल"-नामक एक विशेषज्ञ के अंतर्गत किया गया। प्रिंगल के ~~विचारों~~ आकलन पर रिकार्डो के भूमि किराए के सिद्धान्त का प्रभाव था। अतः भू राजस्व की रकम बहुत अधिक निर्धारित की गई जिसके कारण मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के दुर्गुण शीघ्र ही बाम्बे में भी उभरने लगे।

Scanned by CamScanner

किन्तु आगे चलकर विंगेट और गोल्ड स्मिथ नामक ब्रिटिश अधिकारियों के अंतर्गत भू राजस्व का आकलन करवाया गया। यह आकलन वास्तविकता पर आधारित था। अतः किसानों की दशा में सुधार हुआ किन्तु यह सुधरी हुई स्थिति 1836 के पश्चात ही दृष्टिगत आई।

प्रभाव:- ① रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम राजकीय आय में वृद्धि। दूसरा रैयतों की सुरक्षा। पहला उद्देश्य तो पूरा हुआ परन्तु दूसरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। क्योंकि, रैयतवाड़ी क्षेत्र में जहाँ जमींदारों की जगह स्वयं सरकार ही एक बड़े तथा शोषक जमींदार के रूप में स्थापित हो गई।

② भू राजस्व की ~~बड़ी~~ एक बड़ी रकम को चुकता करने के लिये किसान महाजनों एवं सूदखोरों से कर्ज लेने को विवश हुए। अतः ग्रामीण ऋणग्रस्तता रैयतवाड़ी क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी तथा किसानों की भूमि उनके हाथों से खिसककर महाजनों के हाथों में जाने लगी। 1870 के दशक में दक्कन के दंगे इसी स्थिति के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करते हैं।

③ चूँकि भूमि को विक्रययोग्य बना दिया गया। अतः छोटे किसानों से भूमि खिसककर बड़े किसानों के हाथ में जाने लगी। इस प्रकार बड़े किसानों ने अपने जोत को व्यापक बढ़ा लिया तथा वे कृत्रिम रूप से जमींदार की तरह स्थापित हो गये। दूसरी तरफ भूमिहीन कृषक खेतिहर के रूप में तब्दील होते चले गये।

④ रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्र में न केवल परम्परागत कुलीन बने रहे अपितु उनकी स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई। उदाहरण के लिये भू राजस्व के निर्धारण में मिरासदारों (महाराष्ट्र के धनी किसानों) के विशेषाधिकारों को स्वीकार किया गया। उसी प्रकार ब्राह्मणों के अतिरिक्त विशेषाधिकारों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

Scanned by CamScanner

महालवाड़ी विधि →

→ उत्तर भारत का क्षेत्र जिसमें गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र भी शामिल था, वह मुगल साम्राज्य का केन्द्रीय क्षेत्र रहा था। किंतु 19वीं सदी के आरंभ तक, यह क्षेत्र धीरे-धीरे कम्पनी के नियंत्रण में आया। इसी प्रकार आगे चलकर पंजाब भी कम्पनी के अधीन हो गया। इन क्षेत्रों में भू राजस्व बंदोबस्त की एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित हुई जिसे हम महालवाड़ी पद्धति कहते हैं।

प्रेरक कारक :-

→ ब्रिटिश पक्षधर विद्वान महालवाड़ी व्यवस्था के विकास में विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार करते हैं। उनके विचार में इस पर डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धान्त का प्रभाव था जिसके अनुसार अगर सम्पूर्ण कृषि उत्पादन में किसानों के श्रम तथा कृषि उपकरणों के मूल्य को घटा दिया जाये तो जो अधिशेष बचता है वही भूमि लगान है तथा इसके बड़े भाग पर सरकार अपना दावा कर सकती है। रिकार्डो जमींदार वर्ग पर भी कर लगाने के पक्ष में था। उसका मानना था कि कृषि उत्पादन में जमींदारों का कोई योगदान नहीं होता। वह केवल भूमि पर अपने स्वामित्व के आधार पर उत्पादन में अंश प्राप्त करता है। अतः अगर जमींदारों पर कर लगाया जाए तो इससे उत्पादन में ह्रास नहीं होगा।

भौतिक-आर्थिक कारक :- किन्तु परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि विचारधारा की तुलना में औपनिवेशिक हित अधिक प्रभावी था।

① बढ़ते हुए साम्राज्य के स्वार्थ को पूरा करने के लिये धन की जरूरत थी।

② ब्रिटिश औद्योगिकीकरण में निवेश करने के लिये बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। यही वजह है कि महालवाड़ी पद्धति के अन्तर्गत भू राजस्व की रकम अधिकतम रूप में निर्धारित की गई।

संरचना तथा कार्यविधि → इस पद्धति के अन्तर्गत ग्रामीण समुदाय के महत्व पर, जिसकी चर्चा चार्ल्स मेटकाफ से लेकर हेनरी मैन तक अनेक ब्रिटिश विद्वानों ने की थी, बल दिया गया। अर्थात इस व्यवस्था के अन्तर्गत भू राजस्व का प्रबंधन गाँव अथवा महाल के साथ किया गया।

① महाल जोतेदारों के समूह को कहा जाता था। महाल के सभी जोतेदार सामूहिक रूप में भू राजस्व की रकम अदा करते थे।

③ इस व्यवस्था के अन्तर्गत निजी उत्तरदायित्व का भी प्रावधान था। अर्थात अगर कोई किसान अपने हिस्से की रकम नहीं चुकाता तो उसकी भूमि को महाल अधिकृत कर लेती तथा उसकी रकम को चुकता कर देती थी।

④ कुछ क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली मुकद्दम (मुखिया) के माध्यम से की जाती थी तो कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक जमींदारों के माध्यम से।

⑤ महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की रकम सर्वाधिक रूप में निर्धारित की गई जिन क्षेत्रों में वसूली जमींदारों के माध्यम से वसूली की गई वहाँ (30%) तथा जिन क्षेत्रों में मुकद्दम वहाँ 66% तथा कुछ विशेष क्षेत्रों में 95% तक वसूली की गई। — Doubt 80

Scanned by CamScanner

महालवाड़ी व्यवस्था का विकास → इस पद्धति का प्रथम प्रयोग एक ब्रिटिश अधिकारी हाल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया। उसने 1822 के बंगाल रेग्युलेशन रूल के आधार पर इस पद्धति को लागू किया। किन्तु यह पद्धति अपने स्वरूप में अत्यधिक जटिल थी। इसके सफल संचालन के लिये भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्पादन का वास्तविक आकलन तथा व्यावहारिक रूप में अधिशेष उत्पादन का निर्धारण करना था। हाल्ट मैकेंजी की पद्धति में शीघ्र ही दोष उभरने लगा। आगे विलियम बेंटिक के कार्यकाल में मार्टिन बर्ड नामक ब्रिटिश अधिकारी ने इस व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया। मार्टिन बर्ड को "उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक" भी माना जाता है। इस व्यवस्था का प्रसार उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में हुआ तथा आगे चलकर इसमें टॉमसन नामक अधिकारी का भी योगदान रहा।

प्रभाव →

① इस व्यवस्था के तहत अनेक ताल्लुकेदार अपने क्षेत्र से विस्थापित हो गये यही वजह है कि 1857 के विद्रोह में कुछ ताल्लुकेदारों की भी भूमिका रही।

② महालवाड़ी पद्धति के अन्तर्गत भू राजस्व की रकम सर्वाधिक रूप में निर्धारित की गई। इसका किसानों पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा। फिर 1857 के विद्रोह में महालवाड़ी क्षेत्र के किसानों की बड़ी भागीदारी रही।

Note → महालवाड़ी क्षेत्र में भू राजस्व दर सबसे अधिक — इरफान हबीब

ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव →

① स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी तीनों प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व की रकम सर्वाधिक रूप में निर्धारित की गई। इसके कारण किसानों की क्रयशक्ति में ह्रास हुआ तथा फिर भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त जब स्वतन्त्र भारत की सरकार ने औद्योगिकीकरण की दिशा में प्रयास किया तो यह प्रयास विफल हो गया क्योंकि भारत में सक्षम औद्योगिक बाजार नहीं था।

② भूमि को निजी स्वामित्व में रख दिया गया तथा इसे विक्रय योग्य बना दिया गया परिणामस्वरूप निर्धन किसानों के हाथों से भूमि खिसककर धनी किसानों के हाथों में जाने लगी। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विभाजन को बल मिला।

③ भूमि पर निजी स्वामित्व तथा विक्रय योग्य बनाने का एक और दुष्परिणाम था- भूमि का विखण्डन। इसके शब्दों में भूमि की बिक्री के कारण भूमि के टुकड़े का आकार छोटा होने लगा। इसके कारण उत्पादन प्रभावित हुआ।

④ स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र में ऊपरी स्तर पर एक सामंती व्यवस्था कायम हो गई जबकि निचले स्तर पर कृषि दासता की स्थिति बनी रही।

⑤ जैसा कि हम जानते हैं कि उपर्युक्त सभी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व का अधिकतम रूप में निर्धारण हुआ। चूँकि किसान उस रकम को चुकाने में असमर्थ थे। अतः वे महाजनों से कर्जा लेने के लिये विवश हुए। इसके परिणामस्वरूप वे एक प्रकार के ऋणजाल में फँसते चले गये।

⑥ भू राजस्व की इतनी बड़ी रकम मात्र परम्परागत फसलों की खेती के द्वारा नहीं चुकाई जा सकती थी। इसलिये किसान नगदी फसलों की खेती के लिये विवश हुए। नगदी फसलों की खेती का अर्थ था- परम्परागत फसलों वाले क्षेत्र का दुष्प्रभावित होना। इसके कारण मोटे अनाजों के उत्पादन का ह्रास हुआ। यही मोटे अनाज गरीबों के आहार थे। स्वाभाविक रूप से इसके परिणामस्वरूप अकाल एवं भुखमरी को बल मिला।

Scanned by CamScanner

DEPARTMENT OF HISTORY

PREPARED BY :-

SH. ASHUTOSH KUMAR SINGH

ASST. PROFESSOR (DEPT. OF HISTORY)

B. N. COLLEGE BHAGALPUR

CONTACT (WHATSAPP) NO. 8368156607

Scanned by CamScanner